उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक C/6571 / जबलपुर, दिनांक 10/09/2024.
चार–12–15/99 भाग–चौदह

प्रतिलिपिः–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)
3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (समस्त) की ओर इस निर्देश के साथ कि परिपत्र का पालन उनके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों के लिये लागू करने हेतु,
4. जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. पीठासीन अधिकारी, परिवार न्यायालय ––––––––––––––,
6. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार, प्रशासन/न्यायिक 1, 2/जिला स्था./सर्तकता/आई.एल./एक्जाम/डब्ल्यू. एंड आई, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार ई/गोपनीय, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर,
9. रजिस्ट्रार (आई.टी.सी.एस.ए.)/(एस.ए.)/(एन.सी.टी.),
10. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) .... (समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
13. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) .... (समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ... (समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ... (समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
16. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
17. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/सतर्कता/आई.एल.आर. एवं परीक्षा महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,

की ओर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये अंगीकृत करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल का परिपत्र
क्रमांक एफ–8–1/2023/नियम/चार भोपाल,
दिनांक 14–08–2023 की छायाप्रति सहपत्रों सहित।

(दीपक बंसल)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 8-1 / 2023 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 14 अगस्त,2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय :- राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गो के लिये सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने विषयक - चतुर्थ समयमान वेतन।

संदर्भ :-
1. म.प्र. शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24 जनवरी, 2008
2. म.प्र. शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 11-17/2014/नियम/चार दिनांक 30 सितम्बर, 2014

संदर्भित परिपत्रों द्वारा राज्य के सभी विभागों के समान संवर्गो के लिये लागू समयमान वेतनमान योजना को पुन: विस्तारित करते हुये, चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में निम्नानुसार योजना प्रभावशील की जाती है :-

1. राज्य शासन की सिविल सेवाओं के जिन संवर्गो में सीधी भर्ती होती है, उनमें "अ" "ब" "स" एवं "द" वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक से 35 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान देय होगा अर्थात ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें शासकीय सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्ति की तिथि से तीन पदोन्नति / क्रमोन्नति / समयमान वेतनमान का ही लाभ प्राप्त हुआ है, को दिनांक 01.07.2023 अथवा इसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान की पात्रता होगी।

2. शासकीय सेवक को चतुर्थ समयमान वेतनमान के लिये सेवा अवधि की गणना, प्रतियोगी / चयन परीक्षा के माध्यम से राज्य शासन के अंतर्गत किसी सीधी भर्ती के पद पर प्रथमबार किये गये कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से होगी।

3. उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिये शासकीय सेवक को उन अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक होगा जो कि विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिये निर्धारित है।

4. राज्य शासन के ऐसे संवर्ग के ऐसे अधिकारी / कर्मचारी जिन्हें विशिष्ट योजना के अंतर्गत समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त है, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मंत्रि-परिषद से पृथक से आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

5. यदि किसी संवर्ग को परिशिष्ट-1 अनुसार निर्धारित चतुर्थ समयमान वेतनमान के तुल्य अथवा अधिक लेवल का वेतनमान प्राप्त हो रहा है, तब उन्हें वर्तमान प्राप्त लेवल का वेतनमान ही प्राप्त होता रहेगा।

6. म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा ज्ञाप क्रमांक एफ 11-17/2014/नियम/चार दिनांक 30 सितम्बर, 2014 एवं जारी अन्य दिशा-निर्देशों में उल्लेखित शर्तें तथा प्रक्रियां पूर्ववत यथा स्थिति लागू रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजीत कुमार)
सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ 8-1 / 2023 / नियम / चार **भोपाल, दिनांक 14 अगस्त, 2023**

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव/निज सहायक, मान. वित्त मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग
6. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
8. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
9. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
10. सचिव,लोक सेवा आयोग, इन्दौर
11. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश राज्य शासन भोपाल
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
14. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल

15. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
16. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी / आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
17. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
18. सचिव, कर्मचारी आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, भोपाल
19. सचिव, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
20. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
21. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
22. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
23. समस्त अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / परामर्शी / अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
24. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
25. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश
26. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
27. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
28. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

29. गार्ड फाईल।

(पी.के. श्रीवास्तव)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों को चतुर्थ समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (सातवे वेतनमान) के अनुसार मेट्रिक्स लेविल

क्र.	चयन/ प्रतियोगी परीक्षा से सीधी भरती के नियुक्त पद का वेतनमान म.प्र. अंतर्गत मेट्रिक्स लेविल		चतुर्थ उच्चतर वेतन की स्थिति में वेतनमान म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (सातवे वेतनमान) अंतर्गत मेट्रिक्स लेविल		अन्य
	वेतन पुनरीक्षण नियम 2008 (छठवां वेतनमान)	वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (सातवां वेतनमान)	वेतन पुनरीक्षण नियम 2008 (छठवां वेतनमान	वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (सातवां वेतनमान)	
	वर्ग- अ				
1	ग्रेड वेतन 6600	मेट्रिक्स लेविल 13	ग्रेड वेतन 8900	मेट्रिक्स लेविल 16	राज्य शासन में क्रमोन्नति / समयमान / चयन वेतनमान अंतर्गत अधिकतम ग्रेड वेतन 8900 (मेट्रिक्स लेविल 16) ही देय है।
	वर्ग- ब				
2	ग्रेड वेतन 5400	मेट्रिक्स लेविल 12	ग्रेड वेतन 8900	मेट्रिक्स लेविल 16	
3	ग्रेड वेतन 4200	मेट्रिक्स लेविल 10	ग्रेड वेतन 8700	मेट्रिक्स लेविल 15	
	वर्ग- स				
4	ग्रेड वेतन 3600	मेट्रिक्स लेविल 9	ग्रेड वेतन 7600	मेट्रिक्स लेविल 14	
5	ग्रेड वेतन 3200	मेट्रिक्स लेविल 8	ग्रेड वेतन 7600	मेट्रिक्स लेविल 14	
6	ग्रेड वेतन 2800 अथवा सातवे वेतनमान अंतर्गत	मेट्रिक्स लेविल 7	ग्रेड वेतन 6600	मेट्रिक्स लेविल 13	

7	ग्रेड वेतन 2400	मेट्रिक्स लेविल 6	ग्रेड वेतन 5400	मेट्रिक्स लेविल 12	
8	ग्रेड वेतन 2100	मेट्रिक्स लेविल 5	ग्रेड वेतन 3600	मेट्रिक्स लेविल 9	
9	ग्रेड वेतन 1900	मेट्रिक्स लेविल 4	ग्रेड वेतन 3600	मेट्रिक्स लेविल 9	
	वर्ग-द				
10	ग्रेड वेतन 1800	मेट्रिक्स लेविल 3	ग्रेड वेतन 2800	मेट्रिक्स लेविल 7	
11	ग्रेड वेतन 1400	मेट्रिक्स लेविल 2	ग्रेड वेतन 2400	मेट्रिक्स लेविल 6	
12	ग्रेड वेतन 1300	मेट्रिक्स लेविल 1	ग्रेड वेतन 2100	मेट्रिक्स लेविल 5	